

बिहार सरकार
कारा एवं सुधार सेवाएँ निरीक्षणालय
गृह विभाग (कारा)।

प्रेषक,

आनन्द किशोर,
महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

सेवा में,

अधीक्षक,
मुक्त कारागार, बक्सर।

पटना, दिनांक १५/२/२०१७

विषय:-मुख्य शीर्ष-2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, मांग सं०-22, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2016-17 में वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते) एवं आकस्मिक मदों में निकासी हेतु राशि ₹6,89,000 (छः लाख नवासी हजार रुपये मात्र) आवंटन की स्वीकृति।

(विपत्र कोड-N-2056001010006)

महाशय,

उपर्युक्त विषयक वित्त विभाग के पत्रांक-ब17/बी0एस0जी0-18/2016-423/वि० दिनांक-31.03.16, पत्रांक-एम0-4-09/2014-4572/वि० दिनांक-03.06.2016, ज्ञाप संख्या-2561/वि० (2) दिनांक 17.04.98 एवं अधीक्षक, मुक्त कारागार, बक्सर द्वारा प्राप्त अधियाचना के आलोक में वित्तीय वर्ष 2016-17 हेतु वेतनादि (वेतन, जीवन यापन भत्ता एवं अन्य भत्ते) मदों में स्वीकृत्यादेश संख्या-95 दिनांक-03.02.2017 द्वारा प्राप्त पुनर्विनियोग राशि में से निम्नांकित रूप से राशि का अतिरिक्त आवंटन की स्वीकृति दी जाती है :-

क्र	कूट संख्या एवं मद का नाम	पूर्व का आवंटन	वर्तमान आवंटन	कुल आवंटन	शब्दों में
1	01 01 वेतन	1145000	266000	1411000	चौदह लाख ग्यारह हजार रुपये मात्र।
2	01 03 जीवन यापन भत्ता	1500000	380000	1880000	अठारह लाख अस्सी हजार रुपये मात्र।
3	01 04 मकान किराया भत्ता	75000	26000	101000	एक लाख एक हजार रुपये मात्र।
4	01 06 चिकित्सा भत्ता	24000	12000	36000	छत्तीस हजार रुपये मात्र।
5	01 07 अन्य भत्ता	20000	5000	25000	पच्चीस हजार रुपये मात्र।
	कुल योग	2764000	689000	3453000	चौतीस लाख तीरपन हजार रुपये मात्र।

(छः लाख नवासी हजार रुपये मात्र)

2. इस राशि का विकलन मुख्य शीर्ष- 2056 जेल (गैर योजना), उप मुख्यशीर्ष-00, लघुशीर्ष-101 जेल, उपशीर्ष-0006 मुक्त कारागार के तहत होगा। काराधीक्षकों को निदेश दिया जाता है कि विपत्रों पर मांग संख्या-22 विपत्र कोड-N2056001010006 एवं अंकित कूट संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाय, अन्यथा संबंधित कोषागार द्वारा विपत्रों को पारित नहीं किया जायेगा। इसका अनुपालन सख्ती से किया जाय।

3. आवंटित राशि के व्यय पर कठोर नियंत्रण रखने, मितव्ययिता बरतने तथा वित्तीय अनुशासन बनाये रखने हेतु वित्त विभाग के ज्ञाप-2561/वि०(2) दिनांक-17.04.98 की कंडिका 6, 7, 8, 9, 10 एवं 11 का एवं वित्त विभाग के द्वारा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों का अनुपालन अक्षरशः सुनिश्चित किया जाय। इन कंडिकाओं के अनुपालन में आप स्वयं संतुष्ट हो लें कि स्थापना मदों में केवल स्वीकृत पदों के विरुद्ध

आनन्द किशोर
महानिरीक्षक

रा.प. सं. १५३
उप निदेशक, कारा

18 कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों के लिए नियमानुसार निकासी की जा रही है। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता एवं लापरवाही के लिए आप स्वयं उत्तरदायी होंगे।

4. प्रत्येक मद में आवंटित राशि से अधिक का व्यय किसी भी परिस्थिति में न किया जाय।

5. आवंटित की जा रही राशि में से यदि वेतन एवं भत्ते मदों की किसी इकाई में अधिक या कम राशि है तो निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी वित्त विभाग के पत्र सं० 405/वि० दिनांक 25.05.06 के आलोक में अलग-अलग उप इकाईयों के लिये राशि कर्णांकित करने के पश्चात् ही विपत्र प्रेषित करेंगे।

6. प्रत्येक माह की 10 (दस) तारीख तक मासिक व्यय की ईकाईवार विवरणी टी०भी० नं० के साथ अनिवार्य रूप से कारा निरीक्षणालय में उपलब्ध करा दिया जाय। व्यय विवरणी में पूर्व माह का व्यय, वर्तमान माह का व्यय एवं कुल अद्यतन व्यय का उल्लेख अवश्य किया जाय। इसमें किसी भी प्रकार की शिथिलता बरतने अथवा विलम्ब होने पर इसे वित्तीय अनियमितता मानते हुए आप पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

विश्वासभाजन

श्री देव राम मो. जमाबुद्दीन असादी रायगढ़

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03- /16-.....104.

पटना, दिनांक 09/2/2017

प्रतिलिपि:- महालेखाकर, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री देव राम मो. जमाबुद्दीन असादी रायगढ़

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03- /16-.....104.

पटना, दिनांक 09/2/2017

प्रतिलिपि:- प्रमण्डलीय आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/जिला पदाधिकारी, बक्सर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री देव राम मो. जमाबुद्दीन असादी रायगढ़

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।

ज्ञापांक- कारा/बजट(मुक्त)03- /16-.....104.

पटना, दिनांक 09/2/2017

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, बक्सर/आई०टी० मैनेजर, गृह विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

श्री देव राम मो. जमाबुद्दीन असादी रायगढ़

महानिरीक्षक,
कारा एवं सुधार सेवाएँ
बिहार, पटना।